>

Title: Regarding atrocities being perpetrated on tribals in Dhar Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh.

श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी (धार): महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के मऊ तहसील के जंगलों में आदिवासियों की छोटी-छोटी बसावट है। उन गांवों के आसपास की जमीन पर विगत 25-30 वर्षों से आदिवासी खेती करते आ रहे हैं। वर्ष 2005 की वन नीति के अनुसार उन आदिवासियों को पट्टा देना था, लेकिन पट्टा देना तो दूर, पट्टा देने की बजाय उन आदिवासियों के ऊपर अत्याचार और अन्याय किया जा रहा है।...(व्यवधान) 21 अगस्त 2010 की रात को चार बजे वन विभाग के अधिकारी 10-12 कर्मचारियों के साथ आए और एक आदिवासी श्री रामचन्द्र और उसके बेटे को ले गए, उनके साथ मारपीट की। जब रामचन्द्र थाने गया तो उसकी रिपोर्ट दर्ज करने की बजाय पुलिस ने मार-पीट करके भगा दिया। इसी प्रकार 9 जुलाई को वन विभाग के अधिकारियों ने

*Not recorded.

हद कर दी, जब घनश्याम नाम के एक आदिवासी की इतनी पिटाई की कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, एक नंदु की पिटाई की, उसका हाथ टूट गया, 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा कुमारी गोपी चोपड़ा, उसकी पुस्तकों को फाड़कर जला दिया गया, उसके घर को तहस-नहस करके तोड़ दिया। इसके बाद वन विभाग के अधिकारी डिप्टी रैंजर भदौरिया और एएसडीओ फारेस्ट अभय जैन महिलाओं को, मैं क्या बताऊं आपको। ये महिलाओं को अकेले में रात के अंधेरे में बात करने के लिए बुलाते हैं।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इन लोगों को पट्टे दिए जाएं। जिस अधिकारी और जिन पुलिस अधिकारियों ने इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी और जिन्होंने इन पर अन्याय एवं अत्याचार किया, उन पर केस दर्ज किया जाए, मेरा आपसे यही अनुरोध है।